

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।

विज्ञप्ति

उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति, फरीदपुर, आवला, नबावगंज एवं बहेड़ी के लिए पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु उक्त तहसीलों के अधिवक्ता जिनका विधि व्यवसाय का अनुभव तीन वर्ष से कम न हो, से निम्न प्रारूप पर दिनांक 16.10.2023 की सायं 01:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

- 1- तहसील विधिक सेवा समिति का नाम
 - 2- अधिवक्ता आवेदक का नाम
 - 3- पिता/पति का नाम
 - 4- श्रेणी/वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी/महिला/सामान्य/विकलांग
 - 5- पत्राचार हेतु पता
 -
 - 6- स्थायी पता
 -
 - 7- मोबाईल नम्बर
 - 8- पंजीकरण संख्या
 - 9- कार्य अनुभव (फौजदारी, सिविल, राजस्व)
 - 10- अधिवक्ता के रूप कार्य करने का अनुभव
- (अधिवक्ता के रूप में निस्तारित कराये गये 10 वारों की सूची विवरण सहित संलग्न करें।)

स्व प्रमाणित
फोटो

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....एतद्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित उपरोक्त सभी विवरण मेरे पूर्ण जानकारी में सत्य व सही है। मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद न तो लम्बित है और न ही किसी आपराधिक वाद में दोष सिद्ध हुआ / हुई हूँ और न ही विवेचनाधीन हूँ। मैं स्वेच्छा से पैनल अधिवक्ता के पद पर कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूँ। सूचना गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक

आवेदक / आवेदिका के पूर्ण हस्ताक्षर

अर्हताएं/निर्देश

- 1- आवेदक / आवेदिका अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो।
- 2- आवेदक / आवेदिका का वकालत का अनुभव तीन वर्ष से कम न हो।
- 3- शैक्षिक योग्यता व अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करे।
- 4- अपने अध्यक्ष, बार एशोसिएशन द्वारा निर्गत कार्य अनुभव एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नोट:- आवेदन पत्र सम्बन्धित बार के अध्यक्ष, बार एशोसिएशन द्वारा अग्रसारित कराकर न्यायिक मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति के कार्यालय में दिनांक 16.10.2023 की सायं 04:00 बजे तक डाक द्वारा अथवा कार्यालय में स्वयं से जमा करा सकते हैं।


27/10/2023

अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।